



RAJASTHAN

JUNIOR ACCOUNTANT

द्वितीय प्रश्न पत्र

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

भाग – 2

भारतीय अर्थव्यवस्था, GF & AF एवं
Rajasthan Civil Services Rules

RAJASTHAN JR. ACCOUNTANT PAPER - 2

S.No.	Topic	Page no.
INDIAN ECONOMY		
1.	भारतीय अर्थव्यवस्था	1
2.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	8
3.	जनसंख्या विस्फोट	10
4.	भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि की भूमिका	16
5.	भारत में औद्योगिक विकास एवं सम्भावनाएँ	26
6.	भारत की औद्योगिक नीति	38
7.	मुद्रास्फीति	44
8.	सार्वजनिक उद्यम	53
9.	कृषि और उद्योग पर वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव	57
10.	बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका	63
11.	भारत का विदेशी व्यापार	67
12.	राष्ट्रीय आय	75
13.	राजस्थान की अर्थव्यवस्था	81
G.F. and A.R.		
1.	अध्याय-I प्रस्तावना	85
2.	अध्याय-II वित्तीय प्रबंध और नियंत्रण की सामान्य प्रणाली	91

3.	श्रुध्याय-III राजस्व एवं प्राप्तरयाँ	116
4.	श्रुध्याय-IV सरकारी धनराशरररों की प्राप्तर, इसकी अररररक्षा एवं ऐसी धनराशर का कोषागार में ढुगतान	120
5.	श्रुध्याय-V स्वीकृतर की शक्तरयाँ	132
6.	श्रुध्याय-VI ढुगतान	137
7.	श्रुध्याय- XIV प्रतरदाय एवं वरररध वयर	156
8.	श्रुध्याय-XVII सहायतर-अनुदान आदर	163
Rajsthan Civil Service Rules		
1.	श्रुध्याय-I राजस्थान सेवा नररम: एक सामान्य परररर	171
2.	श्रुध्याय-II परररभाषाएँ	173
3.	श्रुध्याय-III सेवा की सामान्य शरुतेँ	183
4.	श्रुध्याय-X अवकाश की सामान्य शरुतेँ	193

भारत की औद्योगिक नीति

अर्थ

- उद्योग के स्वामित्व और संरचना और उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए सरकार की कार्रवाई। यह सब्सिडी का भुगतान करने या अन्य तरीकों से वित्त प्रदान करने या विनियमन का रूप लेता है।
- इसमें प्रक्रियाएँ, सिद्धांत (अर्थात किसी अर्थव्यवस्था का दर्शन), नीतियाँ, नियम और विनियम, प्रोत्साहन और दंड, टैरिफ नीति, श्रम नीति, विदेशी पूँजी के प्रति सरकार का रवैया आदि शामिल हैं।

उद्देश्य


भारत में सरकार की औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं -

- उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखने के लिए।
- लाभकारी रोजगार बढ़ाने के लिए।
- मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग प्राप्त करने के लिए।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए।
- भारत को वैश्विक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार और खिलाड़ी के रूप में बदलने के लिए।

आजादी के बाद से भारत में औद्योगिक नीतियाँ

औद्योगिक नीति सुधारों की समयरेखा

औद्योगिक नीति क्रांति →



नई औद्योगिक नीति की विशेषताएँ

(i) सार्वजनिक क्षेत्र का गैर-आरक्षण

- वे क्षेत्र जो पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, कम कर दिए गए। हालाँकि, हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, खनिज तेल, रेल परिवहन और खनन जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख स्थान जारी रहा।
- वर्तमान में, केवल दो क्षेत्र- परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन - केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

- (ii) **डी-लाइसेंसिंग** - उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति।
- वर्तमान में सुरक्षा, रणनीतिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित केवल 4 उद्योग हैं जहाँ वर्तमान में एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है-
 - इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण।
 - निर्दिष्ट खतरनाक रसायन।
 - औद्योगिक विस्फोटक।
 - तंबाकू के सिगार और सिगरेट और निर्मित तंबाकू के विकल्प।
- (iii) **सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश** - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कम की गई थी।
- (iv) **विदेशी निवेश का उदारीकरण** - यह पहली औद्योगिक नीति थी जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में बहुलांश हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई थी। 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक FDI की अनुमति दी गई थी। निर्यात व्यापारिक घरानों के लिए 74% तक FDI की अनुमति थी।
- आज, अर्थव्यवस्था में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सरकार 100% FDI की अनुमति देती है।
- (v) **विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता** - प्रौद्योगिकी संबंधी समझौतों के लिए स्वचालित अनुमोदन।
- MRTP कंपनियों और प्रमुख उपक्रमों के संबंध में संपत्ति की प्रारंभिक सीमा को हटाने के लिए **MRTP अधिनियम** में संशोधन किया गया था। MRTP अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

नई औद्योगिक नीतियों के परिणाम

- 1991 की नीति ने 'लाइसेंस, परमिट और कोटा राज' को अतीत की बात बना दिया। इसने औद्योगिक विकास में नौकरशाही बाधाओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का प्रयास किया।
- सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका ने सरकार के बोझ को कम किया।
- नीति ने **बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आसान प्रवेश**, निजीकरण, MRTP कंपनियों पर परिसंपत्ति सीमा को हटाने, उदार लाइसेंसिंग प्रदान की।
- इन सबका परिणाम बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के रूप में हुआ, जिसके कारण कई वस्तुओं की कीमतें कम हुईं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें। इससे घरेलू और विदेशी निवेश लगभग हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए खुला है।
- निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों द्वारा नीति का पालन किया गया। निर्यात उन्मुख इकाइयों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, कृषि-निर्यात क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र जैसी अवधारणाएँ सामने आईं। इन सबका फायदा देश के निर्यात क्षेत्र को मिला है।

भारत में औद्योगिक नीतियों की सीमाएँ

- (i) **विनिर्माण क्षेत्र का ठहराव** - भारत में औद्योगिक नीतियाँ विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1991 के बाद से लगभग 16% पर स्थिर है।
- (ii) **निवेश के चुनिंदा अंतर्वाह के कारण औद्योगिक पैटर्न में विकृतियाँ** - उदारीकरण के बाद निवेश के वर्तमान चरण में, जबकि कुछ उद्योगों में पर्याप्त निवेश प्रवाहित हो रहा है इंजीनियरिंग जैसे कई बुनियादी और रणनीतिक उद्योगों में निवेश की धीमी गति बिजली, मशीन टूल्स आदि पर चिंता है।
- (iii) **श्रम का विस्थापन** - नई औद्योगिक नीति की अगली कड़ी के रूप में उद्योगों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के कारण श्रमिकों का विस्थापन हुआ।
- (iv) **दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का अभाव** - व्यापार नीति सुधारों पर पर्याप्त जोर दिए बिना आंतरिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 'निवेश' या 'निर्यात-आधारित विकास' के बजाय 'खपत-आधारित विकास' हुआ।
- (v) **अस्पष्ट रूप से परिभाषित औद्योगिक स्थान नीति** - नई औद्योगिक नीति, जबकि पर्यावरण को नुकसान के हानिकारक प्रभावों पर जोर देती है। एक उचित औद्योगिक स्थान नीति को परिभाषित करने में विफल रहा, जो औद्योगिक जलवायु के प्रदूषण मुक्त विकास को सुनिश्चित कर सके।

आगे का रास्ता

- भारत में औद्योगिक नीतियों ने **1956 में मुख्य रूप से समाजवादी पैटर्न से 1991** के बाद से पूँजीवादी में बदलाव किया है।
- भारत में अब एक से अधिक उदारीकृत औद्योगिक नीति व्यवस्था है जो बढ़े हुए विदेशी निवेशों और कम विनियमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- विश्व बैंक की ड्रिंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत 77वें स्थान पर है। **दिवाला समाधान (दिवालियापन और दिवाला अधिनियम, 2017) और माल और सेवा कर (GST)** से संबंधित सुधार प्रभावशाली हैं और इसके परिणामस्वरूप **औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लाभ होगा।**
- **मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया** जैसे अभियानों ने देश में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में मदद की है।
- हालाँकि, बिजली की कमी और उच्च कीमतें, ऋण की कमी, श्रम नियमों के कारण उच्च इकाई श्रम लागत, राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य नियामक भार भारत में औद्योगिक क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए चुनौतियाँ बने हुए हैं।
- देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक **नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता** है। दिसंबर 2018 में सरकार ने भी एक नई औद्योगिक नीति पेश करने की आवश्यकता महसूस की जो देश के सभी व्यावसायिक उद्यमों के लिए एक रोड मैप होगी।

राजकोषीय नीति

- इसे सरकार के अपने राजस्व और व्यय की मात्रा और पैटर्न और उनके बीच संतुलन को बदलकर नीति के कुछ व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के सचेत प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है।
- राजकोषीय नीति के प्रमुख आर्थिक लक्ष्य रोजगार और व्यावसायिक गतिविधि के उच्च औसत स्तर को बनाए रखना, रोजगार गतिविधि में उतार-चढ़ाव को कम करना, मुद्रास्फीति को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और कीमतों के स्तर को प्रभावित करने के लिए सरकारी राजस्व और व्यय में जानबूझकर परिवर्तन करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक बजटीय नीति है। राजकोषीय नीति देश के व्यापक आर्थिक परिणामों को बदलने के लिए सरकारी करों और खर्च का उपयोग है। 1930 के दशक के महान अवसाद के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी। वे सामान और सेवाओं को खरीदने में असमर्थ थे इसलिए सरकार को व्यापक आर्थिक मूल्यों और मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए वृद्धि करनी पड़ी।
- कुल माँग को समायोजित करने के लिए सरकारी खर्च और करों का उपयोग राजकोषीय नीति का सार है। सरकार बैंक, स्कूल, हाईवे के निर्माण के जरिए अपना खर्च बढ़ाती है। यह बढ़ा हुआ खर्च एक राजकोषीय प्रोत्साहन है। आर्थिक स्थिरता किसी देश की राजकोषीय नीति का एक वृहद लक्ष्य है चाहे वह विकसित हो या विकासशील। आर्थिक स्थिरीकरण से इसका अर्थ है - मंदी या अवसाद और मूल्य स्थिरता को नियंत्रित करना।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

- देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए।
- मूल्य स्थिरता लाने के लिए।
- पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए।
- सामाजिक न्याय प्रदान करना।
- निर्यात को बढ़ावा देना और आयात प्रतिस्थापन शुरू करना।
- अधिक सार्वजनिक राजस्व जुटाने के लिए।
- उपलब्ध संसाधनों को पुनः आवंटित करने के लिए।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करना।

उपकरण

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं -
 - (i) कराधान
 - (ii) सार्वजनिक उधार
 - (iii) घाटे का वित्तपोषण।
- राजकोषीय नीति सरकारी व्यय और उसकी संरचना से संबंधित है। सरकारी व्यय को पूँजीगत व्यय और उपभोग व्यय के रूप में दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सड़क, बाँध और अन्य के निर्माण पर होने वाले खर्च को पूँजीगत व्यय कहा जाता है।
- वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर सरकारी व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। सरकार द्वारा उधार या राष्ट्रीय ऋण के एवज में चुकाए गए ब्याज को ब्याज भुगतान कहा जाता है। सरकार द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में धन के हस्तांतरण को भुगतान का हस्तांतरण कहा जाता है।

भारत में राजकोषीय नीति का महत्व

- भारत जैसे देश में, राजकोषीय नीति सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- कराधान के माध्यम से, राजकोषीय नीति अपनी कई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए काफी मात्रा में संसाधन जुटाने में मदद करती है।
- राजकोषीय नीति बचत दर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में भी मदद करती है।
- राजकोषीय नीति निजी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देती है।
- राजकोषीय नीति का उद्देश्य आय और धन के वितरण में असंतुलन को कम करना है।

आर्थिक योजना का अर्थ

आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित करके यह निर्णय ले सकते हैं कि इसका क्या और कैसे उत्पादन किया जाना है। यह क्षेत्रीय आर्थिक प्रणाली के विकास के लिए अनुमानित एक आर्थिक कार्यक्रम है।

"आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों को अधिकतम लाभ के लिए व्यवस्थित और उपयोग करने का एक तरीका है।"

आर्थिक योजना की विशेषताएँ

1. आर्थिक संगठन की एक प्रणाली

आर्थिक नियोजन की इस पहली विशेषता में, इसमें विभिन्न आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और वित्त की विभिन्न व्यापक गतिविधियों को समन्वित तरीके से नियोजित और परिभाषित किया गया है।

2. लक्ष्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण

इसमें आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को भली-भाँति परिभाषित किया जाता है। इन लक्ष्यों के लिए एक निश्चित प्राथमिकता भी निर्धारित की जाती है।

3. केंद्रीय योजना

आर्थिक नियोजन की सभी गतिविधियाँ केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं। इस प्राधिकरण को योजना आयोग के रूप में जाना जाता है। सभी निर्णय इस प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं।

4. निश्चित अवधि

आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में एक निश्चित या विशिष्ट अवधि के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्धारण शामिल होता है। उदाहरण के लिए - भारत में, एक आर्थिक योजना 5 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती है। एक पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के बाद दूसरी योजना शुरू की जाती है।

5. सरकारी विनियमन और नियंत्रण

आर्थिक नियोजन एक सरकारी मामला है। सभी योजनाएँ सरकार (आमतौर पर केंद्र सरकार) द्वारा निर्धारित, विनियमित और नियंत्रित होती हैं। डेटा के सभी प्रमुख स्रोत (अर्थव्यवस्था नियोजन से संबंधित) का प्रबंधन सरकार और उसकी टीम द्वारा किया जाता है।

6. आर्थिक और सामाजिक सरकार

आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण है। संतुलित विकास हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आर्थिक योजना का महत्व

1. विश्वसनीय सांख्यिकीय डेटा

आर्थिक नियोजन काफी हद तक आँकड़ों पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का उचित निर्धारण हो सके।

2. उपयुक्त आर्थिक संगठन

आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के वांछित उद्देश्य के साथ भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह संगठन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पादन, खपत, वितरण और विनिमय तंत्र को सुव्यवस्थित करेगा।

3. मजबूत और स्थिर सरकार का अस्तित्व

देश की प्रगति केंद्र सरकार के कंधों पर टिकी है। एक मजबूत और प्रगतिशील सरकार आर्थिक नियोजन के लिए एक मजबूत बुनियादी ढाँचा मुहैया कराएगी।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति का अर्थ

मुद्रास्फीति एक आर्थिक संकेतक है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों की दर को इंगित करता है। अंततः यह रुपये की क्रय शक्ति में कमी को दर्शाता है। इसे प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

यह प्रतिशत पिछली अवधि की तुलना में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। मुद्रास्फीति चिंता का कारण हो सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ-साथ पैसे का मूल्य घटता रहता है।

मुद्रास्फीति समय की अवधि में चयनित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की दर का एक मात्रात्मक आर्थिक उपाय है। मुद्रास्फीति इंगित करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की चयनित टोकरी के लिए औसत मूल्य कितना बदल गया है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि अर्थव्यवस्था के क्रय मूल्य में कमी का संकेत देती है।

सैमुल्सन-नॉर्डहॉस के अनुसार, "मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि है।"

अवधारणा

सामान्यतः कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका परिणाम मूल्यों में वृद्धि एवं क्रय शक्ति के गिरावट के रूप में प्रकट होता है। पीगू के अनुसार "मुद्रा स्फीति की स्थिति तब होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है।" क्राउथर के अनुसार "मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है।"

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा स्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब मुद्रा तथा साख का प्रसार आवश्यकता से अधिक हो। वस्तुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो तथा मुद्रा की क्रय शक्ति घटे।

कीन्स पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रा स्फीति मानते हैं।

मुद्रास्फीति के प्रभाव

- उत्पादन पर प्रभाव** - यह पूँजी निर्माण में बाधा डालता है क्योंकि मुद्रास्फीति पूँजीगत वस्तुओं की कीमत को बढ़ाती है। यह उत्पादक को अधिक पूँजी निवेश करने के लिए हतोत्साहित करता है। यह उत्पादक संसाधनों की जमाखोरी और गलत आवंटन जैसी सट्टा गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
- देनदारों पर प्रभाव** - मुद्रास्फीति के कारण देनदार वास्तविक रूप से कम भुगतान करते हैं, इस प्रकार वे मुद्रास्फीति के दौरान लाभ प्राप्त करते हैं।
- लेनदारों पर प्रभाव** - लेनदारों को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें उधार देने की तुलना में कम मिलता है।
- उद्यमियों पर प्रभाव** - अप्रत्याशित लाभ के कारण उद्यमी को लाभ होता है क्योंकि उत्पादन लागत की तुलना में कीमत तेज दर से बढ़ती है।
- निवेशकों पर प्रभाव** - जब कीमत बढ़ती है, तो मुनाफे में वृद्धि के कारण इक्विटी पर रिटर्न बढ़ता है जबकि ब्रॉन्ड और डिबेंचर धारक को कुछ भी लाभ नहीं होता है क्योंकि उनकी आय स्थिर रहती है।
- किसानों पर प्रभाव** - मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान किसानों को आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से लाभ होता है -
 - कृषि उत्पादों की कीमत लागत से अधिक तेजी से बढ़ती है।
 - भारत में किसान आमतौर पर कर्जदार होते हैं। उन्हें वास्तविक रूप में कम भुगतान करना पड़ता है।
- मजदूरी कमाने वालों/मजदूरों पर प्रभाव** - असंगठित श्रमिक मुद्रास्फीति के दौरान पीड़ित होते हैं क्योंकि मजदूरी में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी वे उपभोग की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करते हैं।
- मध्यम वर्ग/वेतनभोगी पर प्रभाव** - मध्यम वर्ग जो पिछली बचत, निश्चित ब्याज या किराए, पेंशन आदि के रूप में निश्चित आय प्राप्त करता है, बढ़ती कीमतों की अवधि के दौरान उनकी आय स्थिर रहने के कारण पीड़ित होता है।
- सरकार पर प्रभाव** - सरकार को अपनी परियोजनाओं और योजनाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे घाटे में वृद्धि हो सकती है या करों में वृद्धि हो सकती है।

10. **जमाखोरी और कालाबाजारी** - बढ़ती कीमतों से अधिक लाभ के लिए, उत्पादक अपनी वस्तुओं के स्टॉक जमा करते हैं। नतीजतन, बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। फिर उत्पादक अपने उत्पादों को काला बाजार में बेचते हैं जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाता है।
11. **भुगतान संतुलन** - मुद्रास्फीति में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और श्रम विभाजन के लाभों का त्याग शामिल है। यह किसी देश के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब विदेशों की तुलना में स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ती हैं, तो घरेलू उत्पाद विदेशी उत्पादों की तुलना में महँगे हो जाते हैं। यह आयात को बढ़ाता है और निर्यात को कम करता है, जिससे भुगतान संतुलन देश के लिए प्रतिकूल हो जाता है। यह तभी होता है जब देश एक निश्चित विनिमय दर नीति का पालन करता है। लेकिन अगर देश लचीली विनिमय दर प्रणाली पर है तो भुगतान संतुलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
12. **मौद्रिक प्रणाली का पतन** - यदि अति मुद्रास्फीति बनी रहती है और धन का मूल्य एक दिन में कई बार गिरता रहता है, तो यह अंततः मौद्रिक प्रणाली के पतन की ओर ले जाता है, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ था।
13. **सामाजिक मुद्रास्फीति सामाजिक रूप से हानिकारक है** - अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करके, बढ़ती कीमतें जनता के बीच असंतोष पैदा करती हैं। जीवन यापन की बढ़ती लागत के दबाव में, श्रमिक हड़ताल का सहारा लेते हैं जिससे उत्पादन में नुकसान होता है। लाभ के लालच में लोग जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, घटिया वस्तुओं का निर्माण, सट्टा आदि का सहारा लेते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलता है। यह सब अर्थव्यवस्था की दक्षता को कम करता है।
14. **बचत में कमी** - जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो बचत करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है क्योंकि पहले की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। कम बचत निवेश और पूँजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके चलते उत्पादन बाधित हो रहा है।

मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति की माँग

उपलब्ध उत्पादन की तुलना में कुल माँग में वृद्धि से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। ऐसी मुद्रास्फीति को माँग-पुल मुद्रास्फीति (अब से DPI) कहा जाता है। लेकिन कुल माँग क्यों बढ़ती है? शास्त्रीय अर्थशास्त्री कुल माँग में इस वृद्धि का श्रेय मुद्रा आपूर्ति को देते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो जाती है, तो DPI प्रकट होता है। कूलबोर्न ने इसे "बहुत कम माल का पीछा करते हुए बहुत अधिक धन" की स्थिति के रूप में वर्णित किया है।

केनेसियन एक अलग तर्क रखते हैं। उनका तर्क है कि कुल माँग या खर्च में एक स्वायत्त वृद्धि हो सकती है, जैसे कि खपत की माँग में वृद्धि या निवेश या सरकारी खर्च या कर में कटौती या निर्यात में शुद्ध वृद्धि (यानी, $C + I + G + X - M$) पैसे की आपूर्ति में वृद्धि के बिना। यह कीमत में ऊपर की ओर समायोजन को प्रेरित करेगा। इस प्रकार, DPI मौद्रिक कारकों (शास्त्रीय समायोजन) और गैर-मौद्रिक कारकों (कीनेसियन तर्क) के कारण होता है।

इस प्रकार की मुद्रास्फीति का सार यह है कि "बहुत कम वस्तुओं का पीछा करते हुए बहुत अधिक खर्च करना।"

लागत-पुश मुद्रास्फीति

एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि से उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को लागत-पुश मुद्रास्फीति (अब से CPI) के रूप में जाना जाता है। कच्चे माल, मजदूरी आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। अक्सर ट्रेड यूनियनों को मजदूरी वृद्धि के लिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि मजदूरी दर पूरी तरह से बाजार-निर्धारित नहीं होती है। उच्च मजदूरी का अर्थ उत्पादन की उच्च लागत है। ऐसे में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। एक मजदूरी-मूल्य सर्पिल संचालन में आता है। लेकिन, साथ ही, कीमतों में वृद्धि के लिए फर्मों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल अपने लाभ मार्जिन का विस्तार करने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं। इस प्रकार, हमारे पास सीपीआई वेतन-पुश मुद्रास्फीति और लाभ-पुश मुद्रास्फीति के दो महत्वपूर्ण रूप हैं।

स्टैगफ्लेशन

स्टैगफ्लेशन एक नया शब्द है जिसे 1970 के दशक में आर्थिक साहित्य में जोड़ा गया है। यह एक विरोधाभासी घटना है जहाँ अर्थव्यवस्था की गति के ठहराव के साथ-साथ मुद्रास्फीति भी होती है। स्टैगफ्लेशन शब्द 'स्टैग' प्लस 'फ्लैशन' का संयोजन है जो ठहराव से 'स्टैग' और मुद्रास्फीति से 'फ्लैशन' लेता है।


स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब मंदी के साथ मुद्रास्फीति की उच्च दर होती है। इसलिए, इसे मुद्रास्फीति मंदी भी कहा जाता है। इस घटना का प्रमुख कारण कमोडिटी बाजारों में अत्यधिक माँग है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है और साथ ही श्रम की माँग में कमी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पैदा होती है।

1972 के बाद से उन्नत देशों में गतिरोध के अस्तित्व के लिए तीन कारक जिम्मेदार रहे हैं। पहला, तेल की कीमतों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ व्यापार की शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन, दूसरा, श्रम बल की स्थिर और पर्याप्त वृद्धि; और तीसरा, मजबूत ट्रेड यूनियनों के कारण वेतन संरचना में कठोरता है।

मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार -

मुद्रास्फीति के प्रकार



मूल्य स्तर में वृद्धि की दर के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

गति के आधार पर

1. **रेंगती हुई मुद्रास्फीति** - यह एक ऐसी स्थिति है जब मूल्य स्तर मामूली दर से बढ़ रहा है। समय की अवधि में बहुत कम मुद्रास्फीति हुई। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए महँगाई का बढ़ना अच्छा है।
2. **मध्यम मुद्रास्फीति** - जब सामान्य मूल्य स्तर धीरे-धीरे और स्थिर रूप से बढ़ता है तो इसे मध्यम मुद्रास्फीति कहा जाता है। मध्यम मुद्रास्फीति को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त माना जाता है।
3. **सरपट मुद्रास्फीति** - यह बहुत उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है जो दोहरे या तिहरे अंकों में चल रही है यानी 50%, 100%, 200% आदि। पैसे का मूल्य बहुत तेजी से खो देता है। 1970 और 1980 के दशक में कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इस प्रकार की मुद्रास्फीति का अनुभव किया।
4. **हाइपरइन्फ्लेशन** - हाइपरइन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब एक राष्ट्र बहुत अधिक और त्वरित मुद्रास्फीति का अनुभव करता है जहाँ मुद्रास्फीति की वार्षिक दर बहुत ही कम समय में लाखों या खरबों में हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य बहुत जल्दी कम हो जाता है और लोगों का घरेलू मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है। 2008 में जिम्बाब्वे में ऐसी स्थिति हुई जब स्थानीय मुद्रा ने अपना मूल्य बहुत जल्दी खो दिया।

नियंत्रण के आधार पर

1. **खुली मुद्रास्फीति** - मुद्रास्फीति तब खुली होती है जब "माल के बाजार या उत्पादन के कारकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, अधिकारियों द्वारा सामान्य हस्तक्षेप के बिना वस्तुओं और कारकों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। सरकार द्वारा वस्तुओं के वितरण पर कोई नियंत्रण या नियंत्रण नहीं है।
2. **दबी हुई मुद्रास्फीति** - सरकार खुली मुद्रास्फीति की जांच के लिए भौतिक और मौद्रिक नियंत्रण लगाती है, इसे दमित या दबाई गई मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। कीमतों में व्यापक वृद्धि को दबाने के लिए लाइसेंसिंग, मूल्य नियंत्रण और राशनिंग के उपयोग द्वारा बाजार तंत्र को सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं है।
 - (i) **आकार के आधार पर** - आकार के आधार पर व्यापक स्फीति तथा खण्डीय स्फीति दो प्रकार की होती है। जब सभी प्रकार की कीमतों में वृद्धि हो तो व्यापक स्फीति तथा कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो खण्डीय स्फीति कहते हैं।
 - (ii) **समय, परिस्थितियों के आधार पर** - समय तथा परिस्थितियों के आधार पर स्फीति को युद्धकालीन स्फीति, युद्धपश्चात् स्फीति तथा शान्तिकालीन स्फीति के रूप में जाना जाता है। युद्धकाल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पादन के ढाँचे में परिवर्तन के कारण स्फीति उत्पन्न होती है जबकि शान्तिकाल में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के कारण मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है।

मुद्रास्फीति के कारण

मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल माँग वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। हम उन कारकों का विश्लेषण करते हैं जो माँग में वृद्धि और आपूर्ति की कमी का कारण बनते हैं।

माँग को प्रभावित करने वाले कारक

1. मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि

मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है जिससे कुल माँग में वृद्धि होती है। नाममात्र मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, मुद्रास्फीति की दर उतनी ही अधिक होगी। आधुनिक मात्रा सिद्धांतकार यह नहीं मानते हैं कि वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार स्तर के बाद शुरू होती है। यह दृष्टिकोण यथार्थवादी है क्योंकि सभी उन्नत देशों को उच्च स्तर की बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है।

2. प्रयोज्य आय में वृद्धि

जब लोगों की डिस्पोजेबल आय बढ़ती है, तो यह वस्तुओं और सेवाओं की उनकी माँग को बढ़ाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि या करों में कमी या लोगों की बचत में कमी के साथ डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हो सकती है।

3. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि

सरकारी गतिविधियों का विस्तार इस परिणाम के साथ हुआ है कि सरकारी व्यय भी अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कुल माँग बढ़ रही है। विकसित और विकासशील दोनों देशों की सरकारें सार्वजनिक उपयोगिताओं और सामाजिक सेवाओं के तहत अधिक सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं, और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी कर रही हैं और सार्वजनिक उद्यमों को इस परिणाम के साथ शुरू कर रही हैं कि वे कुल माँग को बढ़ाने में मदद करते हैं।

4. उपभोक्ता खर्च में वृद्धि

उपभोक्ता व्यय बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ जाती है। विशिष्ट उपभोग या प्रदर्शन प्रभाव के कारण उपभोक्ता अधिक खर्च कर सकते हैं। वे किराया-खरीद और किस्त के आधार पर सामान खरीदने के लिए अधिक मट्टा भी खर्च कर सकते हैं।

अध्याय-II (Chapter-II)

वित्तीय प्रबंध और नियंत्रण की सामान्य प्रणाली (General System of Financial Management & Control)

धनराशि की प्राप्ति

नियम 5

सरकार की बकायों के रूप में या जमा (Deposit), प्रेषण (Remittances) के लिए या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धन राशियों को अविलम्ब रूप से सरकारी लेखे में लाया जाएगा।

नियम 6

नियम 6 के अनुसार प्राप्त समस्त धनराशियाँ कोषागार नियमों के अनुसार राज्य की संयुक्त निधि या राज्य के लोक लेखा, जैसी भी स्थिति हो, में जमा की जाएँगी।

नियम 7 (निर्धारण संग्रह एवं नियंत्रण)

राजस्व या संबंधित प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सरकारी बकायों का सही एवं शीघ्रतापूर्वक निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन करके उन्हें कोषागार में जमा कराया जाए।

धनराशि की प्राप्ति

नियम 8 (कोषागार से धनराशि निकालना-सामान्य सिद्धान्त)

- जब तक किसी आदेश द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं किया जाए, वित्त विभाग की सहमति के बिना धनराशियों को अन्यत्र निवेश (Investment) या जमा करने के लिए सरकारी खाते से नहीं निकाला जायेगा।
- भुगतान आवश्यक होने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होने पर ही निधियाँ आहरित की जाएँगी।
- बजट अनुदान को व्ययगत (Lapse) होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित करना तथा उन्हें लोक लेखे में या बैंक में जमा रखने की परिपाटी को निषिद्ध किया जाता है।

नियम 9 (लोकनिधियों में से व्यय करने को शासित करने वाली अनिवार्य शर्तें)

- कोई भी प्राधिकारी लोक निधियों में से तब तक कोई व्यय नहीं करेगा जब तक की
- उस व्यय के लिए स्वीकृत सक्षम प्राधिकारी ने नहीं दी हो तथा व्यय के लिए उस वर्ष की प्राधिकृत ग्रांट या विनियोगों में उपबंध न किया गया हो।

नियम 10 (वित्तीय श्रौचित्य के मानदंड या स्तर)

- लोकनिधियों से व्यय करने वाले या व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय श्रौचित्य के उच्च स्तरों या मानदंडों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए ।
- प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर कदम पर वित्तीय आदेशों की पूर्ण पालना करनी चाहिए तथा पूर्ण मितव्ययिता लागू करनी चाहिए व यह देखना चाहिए कि उसके कार्यालय द्वारा तथा अधीनस्थ आहरण व वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त संबंधित नियमों व विनियमों का पालन किया जा रहा है । वित्तीय श्रौचित्य के विभिन्न मानदंड निम्न हैं-
 - प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से आशा की जाती है कि लोक निधि से व्यय के सम्बन्ध में वह कैसी शतकता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनशशि से व्यय के सम्बन्ध में बरतता है ।
 - व्यय अवसर की माँग से प्रथम दृष्टया अधिक का नहीं होना चाहिए ।
 - किसी भी प्राधिकारी को व्यय करने की स्वीकृति की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे आदेश देने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके स्वयं के फायदे के लिए हो ।
 - शार्वजनिक धनशशि का उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति या लोगों के वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि-
 - उस शशि का दावा किसी न्यायालय में प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता हो
 - वह व्यय किसी मान्य नीति या प्रथा के अनुसरण में न हो ।
 - किसी विशेष प्रकार के व्यय को करने के लिए मंजूर किए गए भत्तों की शशि का विनियमन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वे भत्तों कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत नहीं बनें ।

नियम 11 (व्यय का नियंत्रण)

व्ययों पर नियंत्रण रखने हेतु नियंत्रण अधिकारी का यह देखने का दायित्व है कि -

- (i) संपूर्ण व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा में रखा गया है ।
 - (ii) निधियाँ लोकहित में तथा आवंटित उद्देश्यों पर खर्च की गई हैं ।
 - (iii) व्यय के उचित नियंत्रण के लिए लेखा शीर्षवाह व्ययों का एक रजिस्टर प्रपत्र जी.ए. 19 में रखा जाए ।
- नियंत्रण अधिकारी को सरकार के समक्ष विभागीय व्यय या अधिक व्यय के लिए या लेखा परीक्षा जाँच के परिणामस्वरूप या अन्यथा ध्यान में आने वाली किसी अनियमितता का श्रौचित्य सिद्ध करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए ।
 - नियंत्रण अधिकारियों को उन दायित्वों व वचनबद्धताओं का ध्यान रखना चाहिए, जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय वर्ष में भुगतान करना है । इस हेतु उसे अधीनस्थ अधिकारियों से प्रपत्र जी.ए. 27 में मासिक देयता विवरण प्राप्त करना चाहिए ।
 - महालेखाकार से शंक मिलान या पुनर्मिलान (**Reconciliation**): नियंत्रण प्राधिकारी, महालेखाकार कार्यालय से महालेखाकार द्वारा निर्धारित तरीके से व्यय एवं भुगतानों का पुनः नियमित मिलान (reconciliation) करने की व्यवस्था करेगा तथा कार्यालयाध्यक्षों से उनके द्वारा किए गए व्ययों/भुगतानों का मासिक

लेखा प्राप्त करेगा। पुनः मिलान के दौरान पायी गयी किसी भी त्रुटि को निर्धारित प्रपत्र में लेखों की शुद्धि के लिए अनुरोध कर सुधार कराया जायेगा।

- सभी कार्यालयाध्यक्षों को भी अपने राजस्व एवं व्यय के अँकडों का संबंधित कोषागार/उपकोषाकार के IFMS में दर्ज हुए अँकडों से मिलान करना होता है तथा प्रत्येक माह में दो बार कोषागार को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि इन अँकडों में कोई भिन्नता नहीं है।
नोट - इस सम्बन्ध में प्रपत्र जी.ए. 21, 22 एवं 23 निर्धारित किए गए हैं।
- प्रत्येक कोषागार सरकारी व्यय के लिए आहरण व वितरण अधिकारियों (DDO) द्वारा कोषागार से पारित कराए गए बिलों तथा प्राप्त कुल राजस्व का विवरण, महालेखाकार (राजस्थान) को नियमित रूप से भेजता है। महालेखाकार द्वारा बजट शीर्षवार राज्य सरकार के लेखे संधारित किए जाते हैं। प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी विभिन्न विभागीय अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त मासिक लेखे विवरणों से संकलित विभागीय अँकडों का महालेखाकार के अँकडों से समयबद्ध रूप से मिलान करता है, यही प्रक्रिया 'महालेखाकार से पुनर्मिलान (Reconciliation)' कहलाती है। विभागीय अधिकारियों से बजट नियंत्रण अधिकारी को प्राप्त व्यय की सूचना तथा कोषागारों के माध्यम से उसी लेखा शीर्ष में महालेखाकार को प्राप्त व्यय की सूचना का नियमित रूप से मिलान होना आवश्यक है। महालेखाकार द्वारा संधारित लेखों को प्रमाणिक माना जाता है। दोनों में अंतर पाये जाने पर महालेखाकार के अँकडों के आधार पर सुधार किया जाता है।

नियम 12 (अनियमितताओं, छिजता, हानि एवं छल के प्रति आंतरिक जाँच)

- प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय त्रुटियों व अनियमितताओं को रोकने व उसका पता लगाने तथा सार्वजनिक धनराशि एवं सामान की छिजत व हानि पर निगाह रखने के लिए सुव्यवस्थित आंतरिक जाँच हेतु विभागीय संगठन के भीतर पर्याप्त कर्मचारी हैं तथा साथ ही निर्धारित नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
- विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आन्तरिक जाँच निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाएगी तथा यदि कोई गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी तो वह उसकी सूचना सरकार के वित्त विभाग को भेजेगा तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजेगा।
- सरकार के विभागों/कार्यालयों और ऐसे विभागों और कार्यालयों द्वारा स्थापित सोसायटी में संधारित लेखों/अभिलेखों की विशेष लेखा परीक्षा निरीक्षण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार की जायेगी। (आदेश दिनांक 2.12.2006)
- प्रत्येक विभागाध्यक्ष व नियंत्रण अधिकारी का यह देखने का कर्तव्य है कि निदेशक, निरीक्षण विभाग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सभी युक्तियों युक्ति सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं तथा माँगी गई सभी पूर्ण संभव सूचनाएँ प्रदान की गई हैं। (आदेश दिनांक 28.5.2005 द्वारा जोड़ा गया)।

नियम 13 (भुगतान में विलम्ब नहीं किया जाए)

यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत है कि जो धनराशियाँ निर्विवाद रूप से देय एवं आवश्यक हैं, उनके भुगतान को अस्थगित नहीं किया जाएगा। अतः इसके लिए भुगतान अधिकारी को अपने समक्ष अधिकारियों से अतिरिक्त बजट प्राप्त करके ऐसे दावों का निपटारा करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

लेखों के संघारण के संबंध में कर्तव्य

नियम 14

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसका कर्तव्य सार्वजनिक धनराशि या सामान के संबंध में कोई लेखा या विवरणिका तैयार कर प्रस्तुत करने का है, वही उनको पूरा करने तथा पूर्ण रूप से सही रखने के लिए तथा उन्हें निर्धारित तारीख के भीतर प्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

नियम 15

जो भी अधिकारी किसी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करता है तो वह प्रमाणित किए गए तथ्यों के लिए उस सीमा तक उत्तरदायी होगा, जहाँ तक कि उनकी जानकारी रखना उसके ड्यूटी है या उसके उनकी जानकारी होने की युक्ति युक्त रूप से आशा की जा सकती है।

नियम 16 (विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व)

सरकारी बकायों (Government dues) के संग्रह के लिए या सरकारी धनराशि का व्यय करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह देखना चाहिए कि इस संबंध में उचित लेखे निर्धारित प्रपत्र में संघारित किए गए हैं या ये लेखे व अन्य विवरणियाँ महालेखाकार या संबंधित नियंत्रक अधिकारी को भेजी जाती हैं। समस्त लेखों का संघारण इतना स्पष्ट और सारगर्भित हो कि जहाँ भी आवश्यकता हो उन्हें तथ्यों के संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

नियम 17 (लेखा परीक्षा (Audit) द्वारा सूचना माँगना)

प्रत्येक विभागीय एवं नियंत्रक अधिकारी का यह देखने का कर्तव्य है कि महालेखाकार को उसके कार्यों के निर्वहन हेतु समस्त युक्ति युक्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँ और उन्हें समस्त वाँछित सूचनाएँ प्रदान की जाएँ। गोपनीय पत्रावलियों को इस तथ्य के विनिर्देश के साथ लेखा परीक्षा कार्यालय में भिजवाया जाएगा। लेखा परीक्षा कार्यालय तब ऐसे दस्तोजों को सम्भालने व उनकी अभिरक्षा के लिए स्थायी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

संविदाएँ

नियम 18

- कोई भी प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा शक्ति प्रदान न की गई हो, कोई संविदा (Contracts) नहीं करेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 299 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से की जाने वाली विभिन्न वर्ग की संविदाओं व आश्वासनों को परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है। ऐसी संविदाओं के संबंध में विभिन्न शर्तें व परिसीमाएँ तथा सामान्य प्रक्रिया इन नियमों के भाग-II व III में वर्णित हैं।

राजस्थान सेवा नियम: एक सामान्य परिचय (Rajasthan Service Rules: An Introduction)

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों तथा अन्य सेवा एवं आचरण सम्बन्धी कार्यवाहियों को शासित के लिए राजस्थान सेवा नियम बनाये गये हैं।

राजस्थान सेवा नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा बनाए गए हैं। इन नियमों की व्याख्या का अधिकार भी राजस्थान के राज्यपाल के पास ही है। ये नियम सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा की शर्तों एवं अन्य सेवा अथवा आचरण संबंधी कार्यवाहियों को नियमित अर्थात् शासित करते हैं। वित्त विभाग के परामर्श के बिना इन नियमों में निहित किसी शक्ति/अधिकार का प्रयोग या प्रत्यायोजन नहीं किया जायेगा। ये नियम सेवा संबंधी अनेक मामलों के सिद्धांत तय करते हैं, जैसे पदाधिकार कैसे मिल सकता है, वेतन किस प्रकार तय किया जाता है, अवकाश के क्या सिद्धांत हैं, अवकाश कितने प्रकार के होते हैं, पेंशन के क्या मापदंड हैं, इत्यादि।

राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रैल, 1951 से प्रभावशील किए गए हैं तथा ये 7 अप्रैल, 1949 को या उसके पश्चात राजस्थान राज्य से संबंधित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को शासित करने के प्रयोजनार्थ बनाए गए हैं। दूसरे शब्दों में, ये नियम उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सेवा नियम 1

इस नियम के अनुसार इन नियमों को 'राजस्थान सेवा नियम' (Rajasthan Service Rules-RSR) के नाम से जाना जाता है।

सेवा नियम 2

इस नियम के तहत राजस्थान राज्य से संबंधित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त निम्न व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

- (i) उन समस्त व्यक्तियों पर जो 7 अप्रैल, 1949 को या उसके पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा, प्रशासनिक नियंत्रण में हैं अथवा राजस्थान राज्य से संबंधित पदों पर या सेवाओं में, नियुक्त किये गये हो।
- (ii) उन समस्त व्यक्तियों पर जो उक्त तारीख को या उसके पश्चात, प्रसंविदा करने वाले राज्यों की सेवाओं के राजस्थान राज्य में एकीकरण के फलस्वरूप, ऐसे पदों या सेवाओं पर नियुक्त किये गये हों, और
- (iii) उन समस्त व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार अथवा किसी प्रसंविदा करने वाले राज्य की सरकार के साथ किन्हीं ऐसे मामलों के संबंध में की गयी किसी ऐसी संविदा के आधार पर किसी पद अथवा सेवा में नियुक्त किये गये हों जो इन नियमों के अन्तर्गत आते हो और जिनका उपबंध उनकी नियुक्ति की संविदा में विशेष रूप से नहीं किया गया हो।

ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं –

- राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229(2) व 238 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित हो।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर।
- केन्द्र अथवा अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आये कार्यरत अधिकारियों पर।
- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर।
- आकस्मिकता मद से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर।
- कार्य प्रदत्त (Work-charged) कर्मचारियों पर, एवं
- श्रमिक कानूनों से शासित राज्य कर्मचारियों पर।

इसके अतिरिक्त सेवा नियमों का एक सामान्य सिद्धान्त होता है कि जब किसी विषय अथवा बिंदु पर कोई विशिष्ट नियम बनाकर प्रावधान कर दिए जायें तो उस बिंदु/विषय पर सामान्य नियम लागू नहीं रहते। राजस्थान सेवा नियम, सामान्य नियम हैं, अतः विशिष्ट नियम बना देने पर सामान्य नियम लागू नहीं रहते। उदाहरणार्थ यदि किन्हीं नियुक्ति (Recruitment) नियमों में राज्य सेवा

में प्रवेश की आयु 40 वर्ष निर्धारित कर दी जाए तो राजस्थान सेवा नियमों का नियम 8 (जिसमें अधिकतम आयु सीमा वर्तमान में 35 वर्ष निर्धारित है, 24.5.2004 से) प्रभावशील नहीं रहता है।

नियम 3 - वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी

इस नियम में प्रावधान है कि इन नियमों (राजस्थान सेवा नियम) में निहित किसी भी शक्ति/प्राधिकार का किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या प्रत्यायोजन वित्त विभाग के परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्धारित कर सकता है कि किन-किन मामलों में उसकी सहमति पहले से दी हुई मान ली जाए तथा किन मामलों में उसकी सहमति लेने के पश्चात ही प्रशासनिक विभाग द्वारा मामले राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाएँगे।

राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं. F.1 (48)/वि.वि. / (नियम)72 दिनांक 30.10.1972 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि केवल निम्न मामले ही वित्त (नियम) विभाग को प्रेषित किये जाएँगे।

- (i) जिनमें वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक हो।
- (ii) जिनमें किन्हीं नियमों की व्याख्या करनी हो।

उपर्युक्त के अलावा अन्य मामलों की व्याख्या RSR के नियमों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही की जाएगी तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उचित निर्णय लिए जाएँगे।

नियम 4

राजस्थान सेवा नियम के इस नियम में राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आवश्यकतानुसार न्यायोचित एवं युक्ति-युक्त प्रतीत होने पर राजस्थान सेवा नियमों को शिथिल (Relax) कर सकेगी।

नियम 4 (क)

सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों में सरकार समयानुसार कभी भी उचित परिवर्तन कर सकती है।

नियम 4 (ख)

राज्य सरकार को लोकहित में इन नियमों के तहत की गई किसी कार्यवाही या पारित आदेश का पुनरावलोकन (Review) करने तथा अधीनस्थ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है।

नियम 5

राज्य सरकार इन नियमों के तहत अपनी शक्तियाँ अपने अधिकारियों को, जहाँ तक वह उचित समझे निम्न अपवादों के साथ प्रत्यायोजित कर सकती है।

- (i) नियम बनाने की शक्ति।
- (ii) अन्य शक्तियाँ जो नियम 5, 42, 56(क) 81, 148, 151 एवं 157(ग) द्वारा प्रदत्त की गई है।

नियम 6

इसके तहत राजस्थान सेवा नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राजस्थान के राज्यपाल को है।

अध्याय-II : परिभाषाएँ (Chapter-II : Definitions)

राजस्थान सेवा नियमों में कर्मचारियों की सेवा के संबंध में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। ये शब्द राजस्थान सेवा नियम के प्रथम खंड के नियम 7(1) से नियम 7(40) में वर्णित हैं। नियम 7 के अनुसार जब तक किसी विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा रूप से कहीं स्पष्ट नहीं कर दिया गया हो तब तक इस अध्याय में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार माना जाएगा -

आयु [नियम 7(1)]

आयु का अर्थ प्रायः जन्म दिनांक से समझा जाता है। किन्तु जब हम सेवा नियमों के संदर्भ में आयु की बात करते हैं तब उसका अभिप्राय उस न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा से लिया जाता है जिसके आधार पर एक कर्मचारी राज्य सेवा में नियुक्त किया जा सकता है।

नियम 7(1) के अनुसार आयु को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

"जब किसी राज्य कर्मचारी का विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त, पदावनत या अवकाश पर समाप्त रहना आवश्यक हो तो जिस दिन वह कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करता है, वह 'अकार्य दिवस' माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से ही सेवा, पदावनति या यथास्थिति अवकाश पर रहना समाप्त हो जाना चाहिए।"

टिप्पणी

यदि किसी राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्मतिथि ज्ञात नहीं हो तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पैरा 63 के अनुसार जन्म तारीख ज्ञात करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार अपनाई जानी चाहिए -

- (i) यदि कोई कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म दिनांक नहीं बताकर केवल अपने जन्म का वर्ष या वर्ष एवं माह ही बता सके तो उसकी जन्म तारीख क्रमशः उस वर्ष की एक जुलाई अथवा उस माह की 16 तारीख समझी जायेगी।
- (ii) यदि वह केवल अपनी सम्भावित आयु ही बता पाये तो उसकी नियुक्ति के दिनांक से उसके सेवा-काल की अवधि इस सम्भावित आयु में से काट कर, उसकी जन्म-तारीख निश्चित की जानी चाहिए।

शिक्षार्थी (Apprentice) [नियम 7(2)]

शिक्षार्थी/प्रशिक्षु का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यापार/व्यवसाय के कार्य पर किसी राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थ चुना जाए एवं जो ऐसे प्रशिक्षण काल में सरकार से एक निश्चित राशि वृत्तिका (Stipend) के रूप में प्राप्त करे तथा साथ ही वह किसी विभाग में किसी पद या संवर्ग में अथवा उसके विरुद्ध नियुक्त किया हुआ नहीं हो।

संविधान [नियम 7(3)]

संविधान का तात्पर्य भारतीय गणराज्य के संविधान से है।

संवर्ग (Cadre)[नियम 7(4)]

"संवर्ग का तात्पर्य किसी सेवा अथवा उसके अंग की उस निर्धारित संख्या से है जो स्थायी पदों के आधार पर पृथक् इकाई के रूप में रखी गई हो।"

इस प्रकार जब एक ही प्रकार/प्रकृति वाले एक से अधिक स्थायी पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति, वरीयता एवं स्थाईकरण आदि के विशिष्ट नियम बनाकर उन समस्त (एक से कर्तव्यों/कार्यों वाले) पदों को शासित किया जाता हो तो उन समस्त पदों से मिलकर संवर्ग बनता है। उदाहरणार्थ - राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, मंत्रालयिक सेवा आदि को संवर्ग कहा जाता है।

चतुर्थ श्रेणी सेवा [नियम 7(4A)]

चतुर्थ श्रेणी सेवा से तात्पर्य उस सेवा से है जो प्रभावशील वेतनमान नियमों की वेतन श्रृंखला एक या दो में की गई हो। यह नियम आदेश दिनांक 17 मई, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस सेवा के कर्मचारियों का मुख्य कार्य राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा व मंत्रालयिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अकुशल सहायता (unskilled assistance) उपलब्ध कराना होता है, जैसे कार्यालयों की सफाई, पानी की व्यवस्था, पत्रावलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आदि।

क्षतिपूरक भत्ते [नियम 7(5)]

क्षतिपूरक भत्ते उन भत्तों को कहा जाता है जिन्हें राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की पूर्ति के रूप में देती है। इसमें यात्रा भत्ता सम्मिलित है किन्तु इसमें सत्कार (Sumptuary) भत्ता अथवा भारत के बाहर जल मार्ग द्वारा जाने व लौटने का भत्ता शामिल नहीं है। नियम 42 के अनुसार प्राप्तकर्ता के लिए क्षतिपूरक भत्ते, कुल मिलाकर आय का स्रोत नहीं हो सकते।

सक्षम प्राधिकारी [नियम 7(6)]

किन्हीं शक्तियों/अधिकारों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य राजस्थान के राज्यपाल एवं ऐसे अन्य प्राधिकारी से है जिसे इन नियमों के द्वारा अथवा इनके अधीन राज्यपाल द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। इन नियमों के परिशिष्ट IX में उन अधिकारियों की एक सूची दी गई है जो विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

संचित निधि [नियम 7(7)]

संचित निधि का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) की अनुपालना में गठित राज्य की संचित निधि से है।

रूपान्तरित अवकाश [नियम 7(7A)]

रूपान्तरित अवकाश (Commuted Leave) से तात्पर्य इन नियमों के नियम 93 के उपनियम (2) के प्रावधानों के रूप में उल्लिखित अवकाश से है। इस नियम में उल्लिखित उपनियम (2) को 1.1.83 से 'उपनियम 1 (ग)' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

कर्तव्य (Duty) [नियम 7(8)]

(अ) कर्तव्य में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित होती है –

- (i) परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) अथवा शिक्षार्थी(अप्रेन्टिस) के रूप में की गई सेवा, यदि ऐसी सेवा के तुरन्त बाद नियमित सेवा में व्यक्ति स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है।
- (ii) पदभार ग्रहणकाल (Joining Time) की अवधि।
- (iii) अवकाश से लौटने वाले कर्मचारी के संबंध में, जिस पद से उसने अवकाश पर प्रस्थान किया था, उसी पद का पुनः कार्यभार संभालने का दिन।

अपवाद - जयपुर और जोधपुर के कोषागारों का कार्यभार सम्भालने के संबंध में उक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ अधिकतम 7 दिन तथा अन्य जिला कोषागारों के कार्यभार के सम्बन्ध में 3 दिन का समय कर्तव्य के रूप में गिना जायेगा।

- (i) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई सेवा की अवधि (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 द्वारा अंतस्थापित तथा 20.1.2006 से प्रभावी)।

(ब) राज्य सरकार एक विशिष्ट आज्ञा जारी करके यह घोषणा कर सकती है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी राज्य कर्मचारी को ड्यूटी (कर्तव्य) पर माना जाएगा –

- (i) भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण की अवधि के दौरान।

निर्णय-1. यदि कोई राजकीय कर्मचारी केन्द्रीय आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं तो उन्हें उपरोक्त नियम के अधीन